# समाहरणालय, अररिया
## (जिला स्थापना प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in


बिहार सरकार

## आदेश

प्रधान सचिव -सह- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/आवंटन 01/2016 सो0 1387 दिनांक 28.10.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में चार माह के व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से मांग संख्या 33 के अंतर्गत योजना मद बजट मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-092 -अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0122-बिहार प्रशासनिक सुंधार मिशन सोसाइटी (विपत्र कोड-P205200920122) राज्य योजना स्कीम कोड-GEN5513 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3104-सहायक अनुदान-वेतनादि मद में 22,69,260.00 (बाईस लाख उन्तहर हजार दौ सौ साठ) तथा 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में 7,20,000.00 (सात लाख बीस हजार) रुपये इस जिला के बैंक खाता में हस्तान्तरित किया गया है।

उक्त आवांटित राशि में विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान से वेतनादि के अलावा मद की राशि मो0 7,20,000.00 (सात लाख बीस हजार) रुपये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

**वेतनादि मद के अलावा मद में (3106) उपलब्ध करायी जा रही राशि का विवरण :-**

| क्र0 | पदाधिकारी का नाम | वेतनादि के अलावा मद में उपावंटित राशि (3106) **(जेनरेटर व्यय)** | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | अंचल अधिकारी, अररिया | 80,000.00 | |
| 2 | अंचल अधिकारी, जोकीहाट | 80,000.00 | |
| 3 | अंचल अधिकारी, पलासी | 80,000.00 | |
| 4 | अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा | 80,000.00 | |
| 5 | अंचल अधिकारी, सिकटी | 80,000.00 | |
| 6 | अंचल अधिकारी, रानीगंज | 80,000.00 | |
| 7 | अंचल अधिकारी, फारबिसगंज | 80,000.00 | |
| 8 | अंचल अधिकारी, नरपतगंज | 80,000.00 | |
| 9 | अंचल अधिकारी, भरगामा | 80,000.00 | |
| | **कुल राशि** | **7,20,000.00** | |

**सात लाख बीस हजार रुपये।**

विषय शीर्ष 3106 वेतनादि के आलावा मद में उपलब्ध करायी जा रही राशि का उपयोग बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में भाड़े पर रखे गए जेनरेटर के भाड़ा भुगतान हेतु तथा कार्यरत जन शिकायत पदाधिकारियों द्वारा व्यवहृत किये जा रहे वाहन के भाड़ा भुगतान हेतु किया जाएगा। उक्त जेनरेटर भाड़ा मद में राशि का आवंटन /20000/- Per Month Per Office को आधार मानकर किया गया है परन्तु जिला में इसका भुगतान इसके लिए वास्तविक न्यूनतम निर्धारित दर पर किया जाएगा। कार्यरत जन शिकायत पदाधिकारी के वाहन भाड़ा मद में राशि का आवंटन / 10000/- Per Month Per Officer को आधार मानकर किया गया है, अतः इस मासिक व्यय की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए वाहन का आवश्यकता आधारित उपयोग किया जा सकता है।

उपावंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।

बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य समतुल्य वित्तीय प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि का विचलन अन्य इकाई मद में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर तर्क संगत रुप से राशि की अधियाचना पूर्व में कुल उपावंटित राशि, अद्यतन व्यय एवं अवशेष राशि के साथ की जाय।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया उपावंटित राशि का चेक सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी संबंधित पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अबिलम्ब ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभाग को जिला स्तर से संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा सके।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक- 80 /स्था0, दिनांक-31/01/ /2017

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ तथा आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0 टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 31/1/17

जिला पदाधिकारी,
अररिया